राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

प.8(5)गृह–12 / कारा / 2020 जयपुर, दिनांक : 20 MAY 2020

–: परिपत्र :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में विचाराधीन डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 5618 / 2020 सूओ–मोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 17.05.2020 को पारित आदेश की अनुपालना में राज्य की कारागृहों में निवासरत बंदियों में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु आवश्यक प्रबंधन करने के लिए विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 26.03.2020 की निरतंरता में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा में भेजने से पूर्व आवश्यक रूप से स्थानीय चिकित्सक से कोरोना जॉच करवाई जावें तथा केवल कोरोना जॉच नेगेटिव आने के उपरान्त ही जेल अभिरक्षा में निरूद्व किया जावें।
2. अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व करने से पूर्व उसे 21 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जात है। आइसोलेशन वार्ड से रिलीज करने से पूर्व अभियुक्त की यह जॉच की जावें कि उसमें कोरोना वायरस का संक्रमण तो नही है, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के समक्ष जॉच हेतु प्रस्तुत किया जावें तथा जिनमें लक्षण नही दिखाई दे रहे है, ऐसे सम्भावितों की जॉच हेतु RT-PCR जॉच कराई जावें।
   चिकित्सा अधिकारी से जॉच में नेगिटिव होने की स्पष्टता के पश्चात् ही अभियुक्त (विचाराधीन कैदी) या कैदी को सामान्य वार्ड में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. जेल अधिकारी / कर्मचारी जो आईसोलेशन वार्ड के बंदियों के सीधे सम्पर्क में आते है, ऐसे अधिकारी / कर्मचारियों एवं उनके परिजनों में इस वायरस का संक्रमण नही हो, बावत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जेल अधिकारियों व इनके परिवार जनों की कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा हेतु नियमित रूप से कोरोना रेण्डम टेस्ट करवाया जावें।
4. चिकित्सा अधिकारी जिला जेलों में आइसोलशन वार्ड में निरूद्व बंदियों का नियमित चेक–अप करेंगें। बंदियों के संदर्भ में जेल अधिकारियों द्वारा आइसोलेशन वार्ड में स्वच्छता एवं सैनेटाइजेशन के रखरखाव हेतु जो भी आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है के बारे में जेल अधिकारियों को सुझाव देगें।
5. जेल चिकित्सक आइसोलेशन वार्ड के कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगें। जेल चिकित्सक आईसोलेशन वार्ड के कैदियों का नियमित चेक–अप करेगें तथा रिकॉर्ड भी संधारित करेंगें।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से अनुपालना सुनिश्चित की जावें। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जावेगा।

(एन.एल. मीना),
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6) विभाग को बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(कैलाश चन्द),
शासन उप सचिव